र प्रदेश राज्य औद्योगिक
कास निगम लिमिटेड

upsidc

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
ए–1/4, लखनपुर,
पोस्ट बाक्स नं0 1050,
कानपुर–208 024
दूरभाष : 2582851–53
फैक्स : (0512) 2580797
वेबसाईट : www.upsidc.com
ई मेल : feedback@upsidc.com

सन्दर्भ सं0 /एसआईडीसी/आईए/एचओ/ दिनांक

कार्यालय आदेश

पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश सं0 324–328/एसआईडीसी/आईए/एचओ/डायरेक्शन टू आरएम 2007–08 दिनांक 11.05.2012 का अवक्रमित करते हुए आवंटियों को आवंटन पश्चात् दी जाने वाली सुविधाओं के निस्तारण हेतु अधिकार निम्नवत् निर्धारित किये जाते हैं:–

क.	क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी के अधिकार	• 2000 वर्गमीटर तथा 5 वर्ष तक पुराने औद्योगिक एवं एकल आवासीय आवंटनो में आवंटन पश्चात् आदेश में निम्न वर्णित कार्य (पुर्नजीवीकरण को छोड़कर) जिनमें पूर्ण लेवी देय हों। • 1000 वर्गमीटर तक के औद्योगिक एवं एकल आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति।
ख.	क्षेत्रीय स्तर पर गठित समिति के अधिकार	• 10000 वर्गमीटर तक औद्योगिक आवंटनो में आवंटन पश्चात् आदेश में निम्न वर्णित कार्य (पुर्नजीवीकरण को छोड़कर) जिनमें पूर्ण लेवी देय हो। • 5000 वर्गमीटर तक के औद्योगिक भूखण्डों के भवन मानचित्र की स्वीकृति।

क्षेत्रीय प्रबन्धक अपने क्षेत्राधिकार के बाहर के प्रकरण समिति/मुख्यालय उपरोक्त प्राविधान के अनुसार पूर्ण प्रपत्रों सहित मुख्यालय अग्रसारित किये जायेंगे। किसी भी कार्य में अधिकारों अस्पष्टता होने पर उसे मुख्यालय सन्दर्भित किया जायेगा। उक्त कार्यो के निस्तारण हेतु निम्ननानुसार समयावधि निर्धारित की जाती है:–

क्र0 सं0	कार्य की प्रकृति (प्राप्त होने की तिथि से/पूर्ण प्रस्ताव पर)	क्षेत्रीय कार्यालय हेतु निर्धारित समय	मुख्यालय सन्दभित मामलों हेतु निर्धारित समय
1	पट्टानिष्पादन	15 दिन	—
2	पट्टाविलेख को आवंटी की अभिरक्षा/वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन	10 दिन	20 दिन

3	आवंटित भूखण्ड के क्षेत्रफल में बृद्धि की स्वीकृति तथा भूखण्ड परिवर्तन	15 दिन	30 दिन
4	कब्जा हस्तांतरण	10 दिन	—
5	भवन मानचित्र स्वीकृति	15 दिन	30 दिन
6	परियोजना / उत्पाद परिवर्तन / अतिरिक्त उत्पाद	15 दिन	—
7	एक भूखण्ड पर आवंटी द्वारा दूसरी इकाई की स्थापना	—	30 दिन
8	देयों का रिशिड्यूलमेंट	15 दिन	30 दिन
9	समयविस्तारण	15 दिन	30 दिन
10	किरायेदारी	15 दिन	—
11	उपविभाजन / संविलिनीकरण	—	30 दिन
12	हस्तांतरण	15 दिन	30 दिन
13	पुनगर्ठन	15 दिन (केवल लेवी के प्रकरण)	30 दिन (बिना लेवी के सन्दर्भित प्रकरण)
14	निरस्तीकरण / समर्पण स्वीकार करना एवं धनराशि वापसी	30 दिन	—
15	पुर्नजीवीकरण	—	30 दिन

क्षेत्रीय स्तर की समिति संयुक्त प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में गठित होगी जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे:—

1. प्रभारी, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग / औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग के प्रतिनिधि / प्रभारी(ए.टी.पी.),(मानचित्र स्वीकृति हेतु)
2. क्षेत्रीय प्रबन्धक, सदस्य सचिव
3. क्षेत्रीय कार्यालय के सम्बन्धित लेखाधिकारी

उक्त क्षेत्रीय स्तर की समिति की बैठक क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद, सूरजपुर, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, आगरा एवं परियोजना कार्यालय ट्रोनिका सिटी के लिये दिल्ली / किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित की जायेगी। इसी प्रकार शेष क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु समिति की बैठक मुख्यालय / किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित की जायेगी। समिति की बैठक प्रत्येक 15 दिनों में दोनों स्थलों पर आयोजित की जायेगी जिसकी तिथि एवं स्थान की सूचना पृथक से प्रेषित की जाया करेगी।

क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा मुख्यालय के क्षेत्राधिकार के मामले प्रकरण प्राप्ति के 07 दिनों के अन्दर मुख्यालय प्रेषित किये जायेगे तथा यदि किसी आवंटी / उद्यमी द्वारा अपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवंटी / उद्यमी को प्रपत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 02 दिनों के अन्दर पत्र प्रेषित करते हुए समस्त आवश्यक प्रपत्र वांछित किये जाने का अनुरोध किया जायेगा।

उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

सन्दर्भ सं० 5135 518/एसआईडीसी/आईए/एचओ/डायरेक्शन टू आरएम--2007--08 दिनांक 30-5-12

1. वैयक्तिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक/संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० रा० औ० वि० नि० लि०, मुख्यालय, कानपुर।
2. समिति के सदस्यों को, उ० प्र० रा० औ० वि० नि० लि०, मुख्यालय, कानपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/क्षेत्र प्रबन्धक, उ० प्र० रा० औ० वि० नि० लि०...
4. समस्त अधिशाषी अभियन्ता, सिविल एवं विद्युत खण्ड, उ० प्र० रा० औ० वि० नि० लि०.............
5. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर।

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक